



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264259  
CG-DL-E-02072025-264259

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2837]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2025/आषाढ़ 9, 1947

No. 2837]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ASHADHA 9, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय  
(मत्स्यपालन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2025

का.आ. 2904(अ).— केंद्रीय सरकार तटीय जल कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (ट) के साथ पठित, तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, समुद्री और खारे जल के सजावटी जीवों के बीज उत्पादन और संवर्धन के लिए हैचरी और रियरिंग इकाइयों का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त नाम समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के लिए हैचरी और रियरिंग इकाइयां मार्गदर्शक सिद्धांत, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**भाग I****समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के बीज उत्पादन के लिए इकाइयों के संचालन के लिए रक्षोपाय और विनियमन**

1. **समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के बीज उत्पादन के लिए आवेदन मानदंड -** (1) तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित जैव सुरक्षा सुविधाओं और आंतरिक संगरोध सुविधा वाले समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के बीज उत्पादन में कार्यरत या कार्य करने के आशयित हैचरी समुद्री सजावटी जीवों का उत्पादन और विक्रय करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) और तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 (जिसे इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे।  
 (2) हैचरी संचालक उक्त नियमों के फॉर्म 2 में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ उक्त नियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज संलग्न होंगे तथा उक्त नियमों के नियम 9 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार हैचरी के रजिस्ट्रीकरण के लिए दस हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान करना होगा।  
 (3) आवेदन के साथ अवसंरचना, उत्पादन क्षमता, प्रौद्योगिकी सहायता, रोजगार सृजन, संचालन की अर्थव्यवस्था आदि को उपदर्शित करते हुए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।  
 (4) समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के बीज उत्पादन के लिए हैचरी का अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमों के नियम 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित टीम द्वारा हैचरी सुविधाओं के सम्यक् निरीक्षण के पश्चात दिया जाएगा।
2. **समुद्री या खारे जल के सजावटी जीव.-** (1) बीज उत्पादन और समुद्री अथवा खारे जल के सजावटी जीवों के पालन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके तहत इन्हें चारों तरफ से बंद घेरे के जल में, पर्यावरणीय परिस्थितियों, चारा खिलाने की व्यवस्थाओं और अन्य कारकों के प्रबंधन द्वारा परिपक्वता की स्थिति तक उनका प्रजनन, संवर्धन और पालन किया जाता है ताकि इस प्रक्रिया के बाद उन्हें आगे विकसित होने के लिए एक्वेरियम या मरीन या खारे जल वातावरण में छोड़ा जा सकता है।  
 (2) समुद्री सजावटी जीवों में सभी समुद्री या खारे जल की सजावटी मछलियां, झींगा, केकड़े, क्रे मछलियां, इकाइनोडर्म, मोलस्क, सी एनीमोन, प्लांट्स और कोई अन्य जीव सम्मिलित हैं, जिन्हें वाणिज्यिक पैमाने पर प्रजनन और रियरिंग के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञा दी गई है।
3. **स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं.-** (1) हैचरी में प्रवेश केवल उस क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करने के लिए समनुदेशित कार्मिकों तक ही निर्विधित होगा तथा सुरक्षा कार्मिकों द्वारा सुविधा में प्रवेश करने वाले कार्मिकों का अभिलेख रखा जाएगा।  
 (2) इकाई में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर पैरों (50 पीपीएम पोटेशियम परमैंगनेट/ 20 पीपीएम हाइपोक्लोराइट घोल युक्त फुट बाथ) और हाथों [आयोडीन-पीवीपी (20 पीपीएम और / या 70% अल्कोहल) युक्त बोटलें] को कीटाणुरहित करने का उपबंध किया जाएगा।  
 (3) सभी सफाई रसायन, स्वच्छता रसायन और अन्य इनपुट सामग्री को उत्पादन क्षेत्र के बाहर उचित लेबल लगाने के साथ पृथक रूप से भंडारित किया जाएगा।  
 (4) पूरे उत्पादन चक्र के दौरान हैचरी के आस-पास स्वच्छता बनाए रखी जाएगी तथा अपशिष्ट पदार्थों का कोई संचय नहीं होगा।
4. **जल अंतर्ग्रहण -** (1) हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई में अन्य सभी जल आपूर्ति प्रणालियों से पृथक स्वतंत्र जल उपचार सुविधा होगी और जल उपयोग को कम करने तथा जैव सुरक्षा में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई के लिए पृथक री-सर्कुलेशन सिस्टम का उपयोग किया जा सकेगा।

(2) हैचरी के लिए जल को सब-सैंड वेल पॉइंट्स, सैंड फिल्टर (गुरुत्वाकर्षण या दबाव), या मेस बैग फिल्टर्स के माध्यम से प्रारंभिक फिल्टरिंग द्वारा पहले जलाशय या निथार टैंक में स्रोत जल में उपस्थित रोगवाहक और रोगजनकों के प्रवेश को रोकने के लिए फिल्टर और उपचारित किया जाएगा।

(3) क्लोरीनीकरण या ओजोनीकरण द्वारा प्राथमिक कीटाणुशोधन और निपटान के पश्चात्, जल को फिर से एक महीन फिल्टर के साथ फिल्टर किया जाएगा और तब अल्ट्रावायलेट लाइट या ओजोन का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाएगा।

(4) जल आपूर्ति प्रणाली में सक्रिय कार्बन फिल्टर, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड तथा तापमान और लवणता विनियमन का उपयोग शामिल होगा।

**5. जल उपचार और अपशिष्ट जल का निर्वहन-** (1) हैचरी से निस्सारित जल को अस्थायी रूप से रोक लिया जाएगा तथा निस्सारण से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (>20 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन, कम से कम साठ मिनट के लिए) से उपचारित किया जाएगा।

(2) सुविधा में उपयोग किए जाने वाले समुद्री जल या खारे जल को भंडारण टैंक में पहुंचाया जाएगा, जहां इसे हाइपोक्लोराइट घोल (20 पीपीएम सक्रिय घटक कम से कम तीस मिनट के लिए) के साथ उपचारित किया जाएगा, इसके बाद सोडियम थायोसल्फेट (अवशिष्ट क्लोरीन के प्रत्येक पीपीएम के लिए 1 पीपीएम) या ओजोनेशन और मजबूत वायु-मिश्रण का उपयोग किया जाएगा।

(3) कोई भी अपशिष्ट जल क्लोरीनीकरण और डी-क्लोरीनीकरण के बिना हैचरी से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे रोगजनकों या परजीवियों को नैसर्गिक जल में जाने से रोका जा सके और बहिःस्राव उपचार प्रणाली को प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अनुसार डिजाइन किया जाएगा।

**6. हैचरी अवसंरचना -** (1) हैचरी के खंड जैसे ब्रूडस्टॉक होलिंग टैंक, एग इनक्यूबेशन इकाइयां, लार्वा संबंधी रियरिंग इकाइयां, मैकेनिकल फिल्ट्रेशन इकाइयां, यूवी/ओजोन संयंत्र, इनडोर एल्लल संवर्धन, रोटिफ़र और कोपपांड उत्पादन आदि को भौतिक रूप से अलग किया जाना चाहिए और संदूषण से बचने के लिए एकल प्रवेश और निकास का पालन करना चाहिए।

(2) पशुओं और अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए हैचरी परिधि को बाड़ लगाकर सुरक्षित किया जाएगा।

**7. उपकरणों का विसंक्रमण -** (1) प्रयुक्त पात्रों और होज़ों को आगे उपयोग से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (20 पीपीएम) से धोया और रोगाणुनाशित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ब्रूडस्टॉक और लार्वा संबंधी रियरिंग टैंक में उपकरणों का पृथक सेट होगा, जिसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और टैंक के पास रखा जाएगा और प्रत्येक दिन के उपयोग के अंत में सभी उपकरणों का रोगाणुनाशन किया जाएगा।

**8. ब्रूडस्टॉक संग्रहण -** (1) समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के उप-वयस्क और वयस्क ब्रूडस्टॉक को हैचरी रियरिंग सुविधा में परिपक्व करने के लिए वाइल्ड या ब्रूड बैंक से प्राप्त या संग्रहित किया जा सकेगा और ऐसे जीव रोगाणुओं, चोटों या विकृतियों से मुक्त होंगे, उन्हें ऑक्सीजन युक्त जल के साथ ब्रूडस्टॉक बैग या टैंक में सुविधा तक ले जाया जा सकता है।

(2) वाणिज्यिक विक्रय के लिए इन समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के संग्रह और उपयोग को निरुत्साहित किया जाएगा और प्रजनन प्रयोजनों के लिए केवल जनकीय स्टॉक का ही संधारणीय तरीके से उपयोग किया जाएगा।

- (3) ऐसे समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों का संग्रहण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (1972 का 53) (समय-समय पर संशोधित) के उपबंधों के सख्त अनुपालन में, विद्यमान स्टॉक की जैव विविधता को प्रभावित किए बिना और संग्रहण के लिए किसी विनाशकारी गियर और पद्धतियों का उपयोग किए बिना सुनिश्चित किया जाएगा।
9. **ब्रूडस्टॉक संगरोध - (1)** हैचरी या रियरिंग इकाई संचालक उचित और पूर्णतया जैव-सुरक्षित सुविधा स्थापित करेगा और संग्रहित ब्रूडस्टॉक को आंतरिक संगरोध सुविधा में संगरोधित किया जाएगा तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध रोगाणुओं और भारत से संबंधित रोगाणुओं के लिए परीक्षण किया जाएगा।  
(2) संगरोध निस्सारण जल को बहिःस्त्राव उपचार प्रणाली में छोड़ने से पहले अलग से उपचारित किया जाएगा।
10. **समुद्री सजावटी जीवों का आयात -** केंद्रीय सरकार द्वारा आयात के लिए अनुज्ञात समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों को सरकार द्वारा समय-समय यथाविहित आयातित स्टॉक के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं या मार्गदर्शक सिद्धांतों का सम्यक रूप से पालन करते हुए पृथक आंतरिक संगरोध सुविधा में रखा जाएगा।
11. **समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों का रखरखाव - (1)** समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों को संगरोध सुविधा से प्रवाह के माध्यम या रि-सर्कुलेंटिंग जलकृषि प्रणाली से सुसज्जित परिपक्वता या ब्रूडस्टॉक होल्टिंग टैंक में स्थानांतरित किया जाएगा।  
(2) अंतःप्रजनन से बचने और आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए वांछनीय लक्षणों और अच्छे स्वास्थ्य वाले प्रजनन जोड़े चयनित किए जाएंगे।  
(3) अंडजनन को प्राकृतिक पर्यावरणीय संकेतों का अनुकरण करके रोधयुक्त किया जाएगा जिसमें जल का तापमान, फोटो अवधि (प्रकाश की स्थिति), या जल की क्वालिटी मापदंडों को समायोजित करना सम्मिलित है। कुछ प्रजातियों को विशिष्ट विमोचक की अपेक्षा हो सकेगी, जैसे कि लवणता या अन्य पर्यावरणीय मापदंडों और हार्मोन में अचानक गिरावट।
12. **चारा प्रबंधन - (1)** अच्छी क्वालिटी वाले पादप-प्लवक और प्राणी-प्लवक जैसे जीवित चारा को लार्वा संबंधी रियरिंग अनुभागों में उपयोग करने से पहले रोगजनकों की उपस्थिति के लिए जांचा जाएगा।  
(2) उनके प्रजनन या प्रसार को बढ़ाने के लिए कार्यशील चारा या पोषक तत्वों का उपयोग किया जाएगा। जीवित चारा, स्क्रिड, केकड़ा, मछली और झींगा के ताजा मांस के साथ खिलाते समय, हैचरी सुविधा में रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं और परजीवियों के प्रवेश को रोकने के लिए पर्याप्त देखभाल की जाएगी।
13. **प्रोबायोटिक्स और रसायन तत्व - (1)** तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चारा अनुपूरक या इनपुट या योजक का उपयोग मात्स्यिकी अधिकारियों या वैज्ञानिकों या तकनीकी कर्मचारियों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किया जाएगा।  
(2) उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम (1) के खंड (ग) में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ और रोगाणुरोधी तत्व का उपयोग हैचरी में नहीं किया जाएगा।
14. **पैक करना और परिवहन - (1)** समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के बीज को ऑक्सीजन युक्त जल में बैग या कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा।  
(2) समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के बीज को रियरिंग इकाइयों में लवणता के स्तर के आधार पर किसान की अपेक्षा के अनुसार लवणता के लिए हैचरी में ही अनुकूलित किया जाएगा।

15. **रोग की रिपोर्ट करना और अभिलेख रखना** - (1) समुद्री या खारे जल के सजावटी हैचरी में किसी भी रोग के प्रकोप की रिपोर्ट तुरंत प्राधिकरण को दी जाएगी।  
 (2) हैचरी संचालक को संचालन का दैनिक अभिलेख रखना होगा और अभिलेख में ब्रूडस्टॉक ब्यौरा, अंडजनन ब्यौरा, लार्वा उत्तरजीविता, फीडिंग समय, प्रयुक्त जीवित चारा या निष्क्रिय चारा, रसायन उपयोग, रोगाणु परीक्षण परिणाम, जल क्वालिटी रिपोर्ट, पशु स्टॉक का अभिलेख, बीज विक्रय के ब्यौरे आदि सहित सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होंगे।  
 (3) हैचरी संचालक इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के फॉर्म ट-1 में प्राधिकरण को तिमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
16. **निरीक्षण** - प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति समय-समय पर दौरा करेगा और ब्रूडस्टॉक, बीज उत्पादन और विक्रय की स्थिति की जांच करेगा।
17. **बैंक प्रत्याभूति** - अनुमोदित हैचरी को मॉनीटरी फीस के रूप में पचास हजार रुपये का भुगतान करना होगा तथा इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त नियमों के अनुसार तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में पचास हजार रुपये की बैंक प्रत्याभूति जमा करनी होगी तथा किसी उल्लंघन की स्थिति में बैंक प्रत्याभूति वापस ले ली जाएगी।

## भाग II

### समुद्री सजावटी जीवों के लिए पालन इकाइयों के अनुमोदन और संचालन के लिए मानदंड और विनियमन

1. **रियरिंग इकाइयों या फार्मों के लिए पात्रता मानदंड** - (1) समुद्री सजावटी जीवों के लिए रियरिंग इकाई या फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसान, संबंधित उपमंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति को उक्त नियमों के फॉर्म-1 में आवेदन प्रस्तुत करेंगे, तथा उसके साथ उक्त नियमों की अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करेंगे और उक्त नियमों के नियम 9 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार रियरिंग इकाई या फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों की अनुसूची-1 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगे।  
 (2) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण टीम उक्त नियमों के नियम 10 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार रियरिंग इकाई या फार्म का निरीक्षण करेगा और समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के लिए रियरिंग इकाई या फार्म के लिए सुविधा की उपयुक्तता के संबंध में अपनी सिफारिश के आधार पर, रियरिंग इकाई या फार्म को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए प्राधिकरण के विचारार्थ आवेदनों पर प्राधिकरण के सचिव द्वारा कार्रवाई की जाएगी।  
 (3) समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के लिए रियरिंग इकाई या फार्म में जैव रक्षोपाय स्थापित किए जाएंगे जैसे कि बाड़ लगाना, जल उपचार के लिए जलाशय तालाब, बर्ड-स्कारे, प्रत्येक तालाब के लिए अलग उपकरण आदि, और ऐसे कर्मियों द्वारा प्रबंधित किया जाएगा जो जैव सुरक्षा उपायों के प्रबंधन में प्रशिक्षित या अनुभवी हैं।
2. **जल निस्सारण प्रोटोकॉल** - (1) किसी रोग के प्रकोप की दशा में, डिस्ट्रेस हार्वेस्टिंग केवल जाल के माध्यम से की जाएगी और जल निकासी प्रणाली में छोड़ने से पहले जल को क्लोरीनीत और विक्लोरीनीत किया जाएगा।  
 (2) अपशिष्ट जल को बहिःस्राव उपचार प्रणाली में न्यूनतम दो दिन तक रोके रखा जाएगा।  
 (3) समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के लिए रियरिंग इकाई या फार्म जो कृषि की शून्य जल विनियम प्रणाली का पालन करते हैं, वे भी निस्सारण जल उपचार का ध्यान रख सकेंगे।  
 (4) अपशिष्ट जल मानकों का सख्त अनुपालन अनिवार्य अपेक्षा है और तटीय जल कृषि प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण टीम तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में अधिकथित प्रक्रियाओं के अनुसार अपशिष्ट जल या रियरिंग इकाई के नाले के जल की क्वालिटी की मॉनीटरी करेगा।
3. **समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के संवर्धन के लिए मानदंड** - समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित मानदंड अपनाए जाएंगे, अर्थात:-  
 (1) **प्रजाति का चयन**: कृषि के लिए विभिन्न प्रजातियों की अपेक्षा होती है जिनमें मूलभूत विशेषताएं हों, जैसे आकर्षक रंग, विपणन के लिए उपयुक्तता, बाजार की मांग, उपभोक्ता की स्वीकृति, संवर्धन में आसानी, भिन्न-भिन्न लवणता के प्रति अनुकूलनशीलता, कृत्रिम चारा की स्वीकार्यता, तीव्र विकास दर, सामान्य रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता आदि।

**(2) बीज का चयन और भंडारण :**

- (i) परीक्षण और प्रमाणित बीज केवल तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित या रजिस्ट्रीकृत हैचरी से ही खरीदा जाएगा। प्राधिकृत सरकारी प्रयोगशाला से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा;
- (ii) विभिन्न सजावटी जीवों के बीज के आकार को रियर की जाने वाली प्रजातियों के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकेगी और उचित भंडारण घनत्व पर स्टॉक किया जा सकेगा और अधिक भीड़भाड़, रहने का स्थान और भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा से बचा जा सकेगा।

**(3) अनुकूलन और बीज भंडारण:**

- (i) अनुमोदित हैचरी से लाए गए बीज को लघु अवधि के लिए टैंकों या तालाबों में रखा जाना चाहिए ताकि उनकी स्वास्थ्य स्थिति का निरीक्षण किया जा सके। यदि असामान्य व्यवहार या संक्रमण के लक्षण दिखाई देते हैं, तो ऐसे बीज को अलग करके पृथक रूप से रियर जाना चाहिए;
- (ii) रोगों के प्रसार से बचने के लिए रोगाणुओं से संक्रमित बीज को उचित उपचार दिया जाएगा;
- (iii) तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित इनपुट का उपयोग मत्स्यपालन अधिकारियों या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के परामर्श से रोगों के उपचार के लिए किया जाएगा;
- (iv) तालाब में स्थायी बायोमास की मात्रा संवर्धन अवधि की प्रगति के कारण बढ़ जाएगी, अतः तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4 में यथाविहित घुलित ऑक्सीजन, पीएच, अमोनिया और नाइट्राइट जैसे इष्टतम जल क्वालिटी मापदंडों को बनाए रखा जाना चाहिए और नियमित रूप से मॉनीटरी की जानी चाहिए। टैंक या तालाब में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए उचित वातन उपकरण का उपयोग किया जा सकता है और यदि अपेक्षित हो तो आवधिक रूप से जल का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।

**(4) चारा प्रबंधन:**

- (i) उनके प्रजनन या प्रसार को बढ़ाने के लिए कार्यात्मक चारा या पोषक तत्वों का उपयोग किया जाएगा। जीवित चारा, स्क्रिड, केकड़ा, मछली और झींगा के ताजा मांस के साथ खिलाते समय, रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं और परजीवियों को पालन सुविधा में प्रवेश करने से रोकने के लिए पर्याप्त देखभाल की जाएगी;
- (ii) जल में कार्बनिक पदार्थों को कम करने के लिए एक्सट्रूडेड फॉर्मूलेटेड पेलेट चारा का उपयोग किया जाएगा;
- (iii) जब सजावटी जीव तनाव में हों या खराब मौसम के दौरान या कम जल के तापमान के दौरान चारे की मात्रा कम करनी होगी; तथा
- (iv) पोषण संबंधी अपेक्षाएं विभिन्न प्रजातियों, आकारों, विकास चरणों और खिलाने की आदतों के साथ भिन्न होती हैं और तदनुसार तैयार किए गए चारे की मात्रा का उपयोग किया जाएगा।

**(5) उर्वरकों और अन्य जल कृषि इनपुट का उपयोग:**

- (i) प्राथमिक उत्पादन को बढ़ाने और इष्टतम पीएच और अन्य जल क्वालिटी मापदंडों जैसे कि घुलित ऑक्सीजन, अमोनिया और नाइट्राइट को बनाए रखने के लिए, जैव निम्ननीकरण योग्य कार्बनिक पौधों के अर्क और तटीय जल कृषि प्राधिकरण प्रमाणित इनपुट का उपयोग किया जाएगा;

- (ii) तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित चारा अनुपूरक या इनपुट या योजक का उपयोग मत्स्यपालन अधिकारियों या वैज्ञानिकों या तकनीकी कर्मचारियों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार किया जाएगा; और
- (iii) उक्त नियमों के नियम 18 के उप-नियम (1) के खंड (ग) में यथाविहित प्रतिषिद्ध औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों और सूक्ष्माणुरोधी तत्वों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

#### (6) मछली रोगों की रोकथाम और उपचार:

- (i) परिवर्तित व्यवहार, रोग के कारणों और उचित उपचारों की पहचान करने के लिए रियर किए गए सजावटी जीवों का नियमित अवलोकन अपेक्षित है;
- (ii) जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी जैसे रोगजनक प्राकृतिक वातावरण में विद्यमान हैं, अतः समुद्री सजावटी जीवों के स्वास्थ्य में उनके विरुद्ध पर्याप्त प्रतिरोध होना चाहिए;
- (iii) रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए, अच्छी कृषि वातावरण बनाए रखना तथा प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए स्वच्छ और पौष्टिक चारा का उपयोग करना रोग के प्रकोप की संभावना को कम कर सकेगा; तथा
- (iv) किसी भी रोग के प्रकोप की दशा में, वैज्ञानिकों या योग्य तकनीशियनों के परामर्श से उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे।

#### (7) हारवेस्टिंग :

- (i) महाजाल या कास्ट नेट या हथजाल या हाथ से उठाने या किसी अन्य उपयुक्त पद्धति द्वारा जीवों को हारवेस्ट किया जाएगा, जिससे सजावटी जीवों को कोई नुकसान न हो, वह पद्धति अपनाई जाएगी; और
- (ii) जीवित सजावटी जीवों के विपणन के लिए, उचित वातन और जल क्वालिटी व्यवस्था के साथ जीवित जीवों के परिवहन का ध्यान रखा जाएगा।

4. रियरिंग इकाई या फार्म पर अभिलेख का रखरखाव - (1) किसान बीज की खरीद, भंडारण घनत्व, जल क्वालिटी मापदंडों, चारे की मात्रा, स्वास्थ्य प्रबंधन, विकास मापदंडों, प्रयुक्त इनपुट, हार्वेस्टिंग और विपणन ब्यौरे आदि का अभिलेख बनाए रखेंगे।  
(2) किसान को प्राधिकृत कार्मिक या अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर फार्म अभिलेख प्रस्तुत करना होगा।

5. उल्लंघन के लिए शास्ति उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

#### फॉर्म ट-1

[पैरा 15 (3) देखें]

समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों की हैचरी या रियरिंग इकाइयों से त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट का फॉर्म

रिपोर्ट में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात:-

1. हैचरी या रियरिंग इकाई का नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकरण और आयात की अनुज्ञा के प्रमाणपत्र की तारीख और संख्या

3. खरीदे या आयातित सब-अडल्ट या ब्रूडस्टॉक की संख्या, नर और मादा
4. सब-अडल्ट या ब्रूडस्टॉक का स्रोत खरीदा या आयात किया गया
5. परिवहन मृत्युदर
6. संगरोध मृत्युदर
7. अंडजनन की कुल संख्या
8. उत्पादित अंडों की कुल संख्या
9. उत्पादित फ्राई या बीज की कुल संख्या
10. सामान्य जल स्वास्थ्य मानीटरी और किसी भी असामान्य मृत्युदर पर रिपोर्ट
11. बेचे गए फ्राई या बीज की कुल संख्या
12. समुद्री या खारे जल के सजावटी जीवों की विक्रय के लिए फ्राई या बीज के विक्रय के व्यौरे

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

### (Department of Fisheries)

#### Notification

New Delhi, the 26th June, 2025

**S.O. 2904(E).**— In pursuance of the section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (k) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby notifies the following guidelines for regulating hatcheries and rearing units for seed production and culture of marine and brackishwater ornamental organisms, namely:-

1. **Short title and commencement.**— (1) These guidelines may be called Hatcheries and Rearing Units for Marine or Brackishwater Ornamental Organisms Guidelines, 2025.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

## PART I

### Safeguards and regulations for operation of units for seed production of marine or brackishwater ornamental organisms

1. **Application criteria for seed production of marine or brackishwater ornamental organisms.**— (1) The hatcheries engaged or intending to be engaged in seed production of marine or brackishwater ornamental organisms having the required biosecurity facilities and in-house quarantine facility as specified by the Coastal Aquaculture Authority shall be eligible to apply for registration under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) (herein after referred as the said Act) and the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024 (herein after referred as the said rules) to produce and sell the marine ornamental organisms.

(2) The hatchery operator shall submit an application in the Form II of the said rules to the Authority duly enclosing therewith the required documents as specified in the Schedule II of the said rules and payment of registration fee of rupees ten thousand for registration of hatchery in accordance with the procedure laid down in rule 9 of the said rules.

(3) A detailed project report indicating the infrastructure, production capacity, technology support, employment generation, economics of operation, etc., shall be submitted along with the application.

(4) Approval of the hatchery for seed production of marine or brackishwater ornamental organisms shall be given by the Authority after due inspection of the hatchery facilities by a team constituted by the Authority for this purpose in accordance with the procedure laid down in rule 11 of the said rules.

- 2. Marine or brackishwater ornamental organisms.-** (1) Seed production and culture of marine or brackishwater ornamental organisms refer to the process of reproducing in captivity, cultivating and rearing upto juvenile stage through the management of environmental conditions, feeding regimes, and other factors for further growth in aquaria or marine or brackishwater environments.

(2) The term marine ornamental organisms includes all marine or brackishwater ornamental fishes, shrimps, crabs, cray fishes, echinoderms, molluscs, sea anemones, plants and any other organisms which are permitted by the Central Government for commercial scale breeding and rearing purposes.

- 3. Sanitary requirement.-** (1) Entry to the hatchery shall be restricted to the personnel assigned to work exclusively in the area and a record of personnel entering the facility be maintained by the security personnel.

(2) A provision shall be made for disinfection of feet (foot baths containing 50 ppm of Potassium permanganate/ 20 ppm of hypochlorite solution), and hands [bottles containing iodine-PVP (20 ppm and / or 70% alcohol)] to be used upon entering and exiting the unit.

(3) All the cleaning chemicals, sanitary chemicals and other inputs materials shall be stored separately with proper labelling outside the production area.

(4) Surroundings of the hatchery shall be maintained hygienically throughout the production cycle without any accumulation of waste materials.

- 4. Water intake.-** (1) Each functional unit of the hatchery shall have independent water treatment facility isolated from all other water supply systems and separate recirculation systems may be used for each functional unit of hatchery to reduce water usage and improve biosecurity, especially in high-risk areas.

(2) Water for the hatchery shall be filtered and treated to prevent the entry of vectors and pathogens that may be present in the source water by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters, into the first reservoir or settling tank.

(3) After primary disinfection by chlorination or ozonation and after settlement, the water shall be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet light or ozone.

(4) The water supply system shall include use of activated carbon filters, ethylene diamine tetra acetic acid and temperature and salinity regulation.

- 5. Water treatment and discharge of wastewater.-** (1) The discharged water from the hatchery shall be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than sixty minutes) prior to discharge.

(2) The seawater or brackishwater to be used in the facility shall be delivered into a storage tank where it shall be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than thirty minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) or ozonation and strong aeration.

- (3) No wastewater shall be released out of the hatchery without chlorination and de-chlorination, to prevent the escape of the pathogens or parasites into the natural waters and Effluent Treatment System shall be designed as specified by the Authority.
6. **Hatchery infrastructure.-** (1) Sections of the hatchery like the broodstock holding tanks, egg incubation units, larval rearing units, mechanical filtration units, UV/Ozone plant, indoor algal culture, rotifer and copepod production, etc. should be physically isolated and shall follow single entry and exit to avoid contamination.  
(2) The hatchery perimeter shall be secured with fencing to deter entry of animals and unauthorized persons.
7. **Disinfection of implements.-** (1) Used containers and hoses shall be washed and disinfected with hypochlorite solution (20 ppm) before further use.  
(2) Each broodstock and larval rearing tanks shall have a separate set of implements which shall be clearly marked and placed near the tanks and disinfection of all the implements shall be done at the end of each day's use.
8. **Broodstock collection.-** (1) Sub adults and adult broodstock of marine or brackishwater ornamental organisms may be procured or collected from wild or brood bank to make them mature at hatchery rearing facility and such organisms shall be free from pathogens, injuries or deformities, can be transported to the facility in broodstock bags or tanks with oxygenated water.  
(2) Collection and exploitation of these marine or brackishwater ornamental organisms for commercial sale shall be discouraged and only parental stock shall be used in a sustainable way for breeding purposes.  
(3) Collection of such marine or brackishwater ornamental organisms shall be ensured in strict compliance with the provisions of Wild Life Protection Act, 1972 (53 of 1972) (as amended from time to time) without affecting the biodiversity of the existing stock and without using any destructive gears and methods for collection.
9. **Broodstock quarantine.-** (1) The hatchery or rearing unit operator shall establish a proper and fully bio-secured facility and broodstock collected shall be quarantined and tested for World Organisation for Animal Health listed pathogens and pathogens concern to India in in-house quarantine facility.  
(2) Quarantine discharge water shall be treated separately before releasing into effluent treatment system.
10. **Import of marine ornamental organisms.-** Marine or brackishwater ornamental organisms permitted for import by the Central Government shall be maintained in separate in-house quarantine facility by duly following the standard operating procedures or guidelines for imported stock as prescribed by the government from time to time.
11. **Maintenance of marine or brackishwater ornamental organisms.-** (1) Marine or brackishwater ornamental organisms shall be shifted from the quarantine facility to maturation or broodstock holding tanks fitted with flow through or Recirculating Aquaculture System.  
(2) Breeding pairs with desirable traits and good health shall be selected to avoid inbreeding and to maintain genetic diversity.  
(3) Spawning shall be triggered by simulating natural environmental cues that includes adjusting water temperature, photo period (lighting conditions), or water quality parameters. Some species may require specific triggers, such as a sudden drop in salinity or other environmental parameters and hormones.

12. **Feed management.-** (1) Live feeds like phyto-planktons and zooplanktons of good quality shall be screened for the presence of pathogens before using in larval rearing section.  
(2) Functional feeds or nutrients shall be used to enhance their reproduction or propagation. While feeding with live feeds, fresh meat of squid, crab, fish and shrimp, adequate care shall be taken to prevent the entry of diseases causing pathogens and parasites into the hatchery facility.
13. **Probiotics and chemical agents.-** (1) Coastal Aquaculture Authority approved feed supplements or inputs or additives shall be used as recommended by the fisheries officials or scientists or technical staff.  
(2) Prohibited pharmacologically active substances and antimicrobial agents as specified in clause (c) of sub-rule (1) of rule 18 of the said rules shall not be used in the hatchery.
14. **Packing and transport.-** (1) The seed of Marine or brackishwater ornamental organisms shall be transported in bags or containers in oxygenated water.  
(2) The seed of Marine or brackishwater ornamental organisms shall be acclimatized in the hatchery itself for salinity as per the requirement of the farmer based on the salinity levels in the rearing units.
15. **Disease reporting and record maintenance.-** (1) Any disease outbreak in the marine or brackishwater ornamental hatchery shall be reported immediately to the Authority.  
(2) The hatchery operator shall maintain day to day records of the operations and the record shall contain all the activities including broodstock details, spawning details, larval survival, feeding time, live feed or inert feeds used, chemical usage, pathogen test results, water quality reports, record of animal stock, details of seed sales, etc.  
(3) The hatchery operator shall submit a quarterly compliance report to the Authority in Form K-1 of these guidelines.
16. **Inspection.-** A person authorised by the Authority shall periodically visit and check the status of the broodstock, seed production and sale.
17. **Bank guarantee.-** The approved hatcheries shall pay rupees fifty thousand towards monitoring fee and deposit a bank guarantee for rupees fifty thousand in favour of the Coastal Aquaculture Authority in accordance with the said rules, to ensure compliance with these guidelines and in the event of any violation, the bank guarantee shall be invoked.

## PART II

### Norms and Regulations for Approval and Operation Rearing Units for marine ornamental organisms

1. **Eligibility criteria for rearing units or farms.-** (1) The farmers for registration of rearing unit or farm for marine ornamental organisms shall submit an application Form I of the said rules to the Sub-Divisional Level Committee or District Level Committee concerned duly enclosing therewith the required documents as specified in the Schedule II of the said rules and payment of registration fee as specified in the Schedule I of the said rules for registration of rearing units or farms in accordance with the procedure laid down in rule 9 of the said rules.  
(2) The inspection team authorised by the Authority shall inspect the rearing unit or farm as per the procedure laid down in rule 10 of the said rules and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for rearing unit or farm for marine or brackishwater

ornamental organisms, applications shall be processed by the Secretary of the Authority, for consideration of the Authority for registering the rearing unit or farm.

(3) Rearing unit or farm for marine or brackishwater ornamental organisms shall establish the biosecurity measures such as fencing, reservoir ponds for water treatment, bird-scare, separate implements for each of the ponds etc., and be managed by personnel who are trained or experienced in management of biosecurity measures.

2. **Water discharge protocols.-** (1) In case of any outbreak of disease, distress harvesting shall only be done through netting and the water shall be chlorinated and dechlorinated before release into drainage system.

(2) Wastewater shall be retained in the Effluent Treatment System for a minimum period of two days.

(3) Rearing unit or farm for marine or brackishwater ornamental organisms which follow Zero Water Exchange system of farming may also take care of the discharge water treatment.

(4) Strict compliance for the waste water standards is a mandatory requirement and the Inspection team authorised by the Coastal Aquaculture Authority shall monitor the quality of waste water or rearing unit drain water as per the procedures laid down in the guidelines for regulating coastal aquaculture.

3. **Norms for culture of marine or brackishwater ornamental organisms.-** The following norms shall be adopted for culture of marine or brackishwater ornamental organisms, namely:-

(1) **Species selection:** Farming requires a variety of species with the basic characters like, attractive colours, suitability for marketing, market demand, consumer acceptance, easy to culture, adaptability to the varying salinity, acceptance to artificial diets, faster growth rate, resistant to common diseases, etc.,

(2) **Seed selection and stocking:**

- (i) tested and certified seed shall be procured only from the Coastal Aquaculture Authority approved or registered hatcheries. Test reports from authorised Government lab shall be considered;
- (ii) the seed size of various ornamental organisms may be preferred based on the species reared and stock at appropriate stocking density and avoid over-crowding, completion for living space and food.

(3) **Acclimatization and stocking of seed:**

- (i) seed brought from the approved hatchery should be acclimatized in tanks or ponds for a shorter period to observe their health condition. If abnormal behaviour or infection symptoms are noticed, such seeds have to be isolated and reared separately;
- (ii) to avoid the spread of diseases, seed infected with pathogens shall be given proper treatment;
- (iii) the Coastal Aquaculture Authority certified inputs shall be used for treating the diseases in consultation with the fisheries officials or Indian Council of Agricultural Research scientists;
- (iv) the standing biomass in the pond will increase due to progresses of culture period and therefore, optimal water quality parameters such as dissolved oxygen, pH, ammonia and nitrite as prescribed in the para 4 of the Guidelines for regulating

Coastal aquaculture shall be maintained and have to be monitored regularly. Proper aeration equipment may be used to enhance the Dissolved Oxygen level in the tank or pond and water exchange can be provided if required periodically.

**(4) Feed Management:**

- (i) functional feeds or nutrients shall be used to enhance their reproduction or propagation. While feeding with live feeds, fresh meat of squid, crab, fish and shrimp, adequate care shall be taken to prevent the entry of diseases causing pathogens and parasites into the rearing facility;
- (ii) extruded formulated pellet feed shall be used to reduce organic matters in water;
- (iii) feed quantity has to be reduced when the ornamental organisms are under stress or during rough weather or during low water temperature; and
- (iv) the nutritional requirements vary with different variety of species, sizes, growth stages and feeding habits and accordingly quantity of formulated feeds shall be used.

**(5) Use of fertilisers and other aquaculture inputs:**

- (i) to increase the primary production and to maintain the optimum pH and other water quality parameters such as dissolved oxygen, ammonia and nitrite, biodegradable organic plant extracts and Coastal Aquaculture Authority certified inputs shall be used;
- (ii) the Coastal Aquaculture Authority approved feed supplements or inputs or additives shall be used as recommended by the fisheries officials or Scientists or technical staff; and
- (iii) prohibited pharmacologically active substances and antimicrobial agents as prescribed in clause (c) of sub-rule (1) of rule 18 of the said rules shall not be used.

**(6) Prevention and treatment of fish diseases:**

- (i) regular observation of reared ornamental organisms is required to identify altered behaviour, disease causes and appropriate treatments;
- (ii) pathogens like bacteria, viruses, fungi and parasites are existing in the natural environment and hence, health of the marine ornamental organisms shall have adequate resistance against them;
- (iii) to prevent and control diseases, maintaining a good farming environment and use of hygienic and nutritious feed to boost immunity may minimise the chance of disease outbreak; and
- (iv) in case of any disease outbreak, remedial measures shall be taken in consultation with Scientists or qualified technicians.

**(7) Harvesting:**

- (i) harvesting of organisms by drag nets or cast nets or hand nets or hand picking or any other suitable method which does not cause any damage to the ornamental organisms shall be adopted; and

(ii) for marketing the live ornamental organisms, care shall be taken to transport live organisms with proper aeration and water quality arrangements.

4. **Maintenance of records at rearing unit or farm.**— (1) The farmers shall maintain records of procurement of seed, stocking density, water quality parameters, feeding quantities, health management, growth parameters, inputs used, harvesting and marketing details etc.  
(2) The farmer shall produce the farm records on demand by the authorised personnel or officials.
5. Penalty for violation shall be in accordance with the said Act and the rules made thereunder.

**Form K-1**

[See paragraph 15 (3)]

**Format for quarterly compliance report from hatcheries or rearing units of marine or brackishwater ornamental organisms**

The report shall contain the following information, namely :-

1. Name and Address of the hatchery or rearing unit
2. Date and number of certificate of registration and permission to import
3. Number of sub-adult or broodstock procured or imported, males and females
4. Source of sub-adult or broodstock procured or imported
5. Transport mortality
6. Quarantine mortality
7. Total number of spawning's
8. Total number of eggs produced
9. Total number of fry or seed produced
10. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality
11. Total number of fry or seed sold
12. Details of the sales of fry or seed to whom marine or brackishwater ornamental organisms sold

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt. Secy.